

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

कार्यालय सदस्य सचिव शुल्क रेगुलेटरी कमेटी, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प. 1(1)एम.ई./ग्रुप-1/2003


जयपुर, दिनांक: 25. JUL 2017

आदेश

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडेमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक 14.8.2003 के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा विभिन्न पहलुओं के परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त निम्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु शुल्क संरचना राशि रुपये में प्रति छात्र प्रति वर्ष निम्नानुसार अंतिम रूप से निर्धारित की जाती है:-

Course	For 2017-18	For 2018-19	For 2019-20
D. Pharma	49500/-	51750/-	54000/-
B. Pharma	77000/-	80500/-	84000/-
M. Pharma	99000/-	103500/-	108000/-

2. उपर्युक्त शुल्क के अलावा छात्रावास तथा परिवहन शुल्क पृथक से छात्रों से लिये जा सकेंगे।  
3. मैरा हेतु मासिक रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित की गयी राशि छात्रों से अंशदान के आधार पर ली जायेगी। छात्रावास के विजली आपूर्ति के बिलों की राशि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के मध्य समान रूप से सम्विभाजित की जायेगी।  
4. कॉलेज में प्रवेश के समय एक ही बार कौशन मनी ली जायेगी जो कोर्स पूरा करने पर वापिस की जायेगी।  
5. उक्त छात्रों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क वसूल किया जा सकेगा।  
6. कॉलेज उपरोक्त शुल्क के अलावा किसी भी तरह का शुल्क अथवा डोनेशन, विकास शुल्क, लैबोरेटरी शुल्क, अस्पताल शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क या अन्य किसी भी स्वरूप में कोई राशि औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से छात्रों से वसूल नहीं करेंगे। कॉलेज यदि उपरोक्त बिन्दुओं में वर्णित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क अथवा राशि वसूल करते हैं तो वह कैंपिटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जायेगा एवं तदनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।  
8. उक्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2017-18 से नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होगा।




(आनन्द कुमार)  
सदस्य सचिव,

शुल्क रेगुलेटरी कमेटी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. जस्टिस एस.एन. भार्गव, अध्यक्ष, शुल्क निर्धारण कमेटी।
5. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन/शैक्षणिक) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
6. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
9. समस्त प्रधानाचार्य, दन्त महाविद्यालय।
10. समस्त सदस्य शुल्क निर्धारण समिति।
11. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव